भारत सरकार Government of India
वित्त मंत्रालय Ministry of Finance
राजस्व विभाग Department of Revenue
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
Central Board of Indirect Taxes & Customs
राष्ट्रीय सीमाशुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोंटिक्स अकादमी,
National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics,
पालसमुद्रम, एन एच - 44, गोरंटला मंडल, श्री सत्य साई जिला, आंध्र प्रदेश-515251
Palasamudram, NH-44, Gorantla Mandal, Sri Sathya Sai Dist, Andhra Pradesh – 515251
ई-मेल/E-mail: estt-nacinpsm@gov.in टेलीफोन Phone: 08556-229750

स्थापना संबंधी परिपत्र / Establishment Circular

विषय: नासिन, पालसमुद्रम में तैनात अधिकारियों से संकाय (Faculty) के रूप में कार्य करने हेतु सहमति आमंत्रित करने के संबंध में।

Subject: Calling for willingness from officers posted at NACIN, Palasamudram for working as Faculty - reg.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नासिन, पालसमुद्रम, विभाग का मुख्यालय और प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान होने के नाते, सीबीआईसी (CBIC) के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रवेशकालीन (Induction), अनिवार्य, सेवाकालीन, विशिष्ट एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के साथ-साथ समय-समय पर अकादमी को सौंपे गए अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु उत्तरदायी है।

It is hereby informed that NACIN, Palasamudram, being the Headquarters and premier training institution of the Department, is responsible for conducting various induction, mandatory, in-service, specialized and other training programmes for officers and staff of CBIC, as well as other training programmes entrusted to the Academy from time to time.

2. नासिन, पालसमुद्रम के केंद्रीकृत संकाय संसाधन समूह (Faculty Resource Pool) को सुदृढ़ करने और प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आवश्यक ज्ञान, कौशल, व्यावहारिक अनुभव एवं विशेषज्ञता रखने वाले अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, नासिन, पालसमुद्रम में तैनात सभी अधिकारियों से उनके ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता के संबंधित क्षेत्रों में संकाय (Faculty) के रूप में कार्य करने हेतु सहमति आमंत्रित की जाती है। चूंकि नासिन, पालसमुद्रम में तैनात अधिकारी किसी भी कार्यक्षेत्र (Vertical) में स्थानांतरण/तैनाती के पात्र हैं, अतः सहमति किसी विशेष कार्यक्षेत्र तक सीमित नहीं होगी।

In order to strengthen the centralized Faculty Resource Pool of NACIN, Palasamudram and to ensure availability of officers possessing requisite knowledge, skills, practical experience and expertise for imparting training, willingness is hereby invited from all officers posted at NACIN, Palasamudram to work as Faculty in their respective areas of knowledge, skill and expertise. Since officers posted at NACIN, Palasamudram are liable for transfer/posting to any vertical, the willingness shall not be restricted to any particular vertical.

3. फील्ड प्रशिक्षण केंद्र (Field Training Centre), नासिन, पालसमुद्रम में संकाय संबंधी आवश्यकताओं में अकादमी के कामकाज से संबंधित प्रशिक्षण, अनुदेशात्मक, व्यावसायिक, तकनीकी, प्रशासनिक, परिचालन एवं अन्य गतिविधियों का एक विस्तृत दायरा शामिल है। तदनुसार, संकाय संसाधन समूह किसी विशेष कार्यक्षेत्र (Vertical), संवर्ग (Cadre) या पदक्रम

(Grade) तक सीमित नहीं रहेगा। किसी भी पदक्रम के अधिकारी, जो फील्ड प्रशिक्षण केंद्र में संचालित किए जाने वाले कार्य अथवा गतिविधि के किसी भी क्षेत्र में अपेक्षित ज्ञान, कौशल, व्यावहारिक अनुभव, योग्यता या प्रदर्शित दक्षता रखते हैं, उन पर संबंधित क्षेत्र में संकाय उत्तरदायित्वों हेतु विचार किया जा सकता है। अतः अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित संकाय प्रोफ़ाइल (Faculty Profile) में विशेषज्ञता के सभी प्रासंगिक क्षेत्रों का उल्लेख करें।

The Faculty requirements at the Field Training Centre, NACIN, Palasamudram encompass a wide range of training, instructional, professional, technical, administrative, operational and other activities relevant to the functioning of the Academy. Accordingly, the Faculty Resource Pool shall not be confined to any particular vertical, cadre or grade. Officers of any grade possessing the requisite knowledge, skills, practical experience, qualifications or demonstrated proficiency in any area of work or activity undertaken at the Field Training Centre may be considered for Faculty responsibilities in the relevant area. Officers are therefore advised to indicate all relevant areas of expertise in the prescribed Faculty Profile.

4. प्रासंगिक ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव, व्यावसायिक विशेषज्ञता या प्रदर्शित प्रवीणता रखने वाले अधिकारी अकादमी के विभिन्न कार्यात्मक एवं संस्थागत क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण/सत्र प्रदान करने में योगदान दे सकते हैं, जिनमें कार्यालय प्रक्रियाएं और सामान्य कार्यालय प्रशासन, लेखा, बजट और वित्त, वेतन एवं भत्ते, अवसंरचना विकास एवं प्रबंधन, मौद्रिकरण (Monetisation), वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद, जनशक्ति की नियुक्ति/प्रबंधन, राजभाषा कार्यान्वयन, मानव संसाधन प्रबंधन, भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS), कार्यक्रम प्रबंधन (Event Management), सतर्कता, स्थापना संबंधी मामले, हरित एवं स्वच्छता पहल, विषयगत उद्यान (Thematic Gardens), विभिन्न प्रमाणन/पंजीकरण, अदालती मामलों का निपटान और कार्य के अन्य संबंधित क्षेत्र शामिल हैं। ऐसे अधिकारियों पर संबंधित विषय/गतिविधि हेतु उनके प्रासंगिक ज्ञान, अनुभव, विशेषज्ञता और उपयुक्तता के आधार पर समुचित संकाय आवंटन हेतु विचार किया जा सकता है।

Officers possessing relevant knowledge, practical experience, professional expertise or demonstrated proficiency may also contribute to imparting training/sessions in various functional and institutional areas of the Academy, including Office Procedures and General Office Administration, Accounts, Budgeting and Finance, Pay and Allowances, Infrastructure Development and Management, Monetisation, Procurement of Goods and Services, Hiring/Management of Manpower, Official Language implementation, Human Resource Management, Indian Knowledge System, Event Management, Vigilance, Establishment matters, Greening and Swachchhta initiatives, Thematic Gardens, various Certifications/Registrations, handling of Court cases and other related areas of work. Such officers may be considered for appropriate Faculty assignments based on their relevant knowledge, experience, expertise and suitability for the subject/activity concerned.

5. इसके अतिरिक्त, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों जैसे क्रिकेट कोचिंग, तैराकी, बास्केटबॉल, अन्य खेल एवं फिटनेस गतिविधियों, योग, संगीत, गायन, वाद्य संगीत, सांस्कृतिक गतिविधियों और किसी भी अन्य प्रासंगिक क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान अथवा दक्षता रखने वाले अधिकारियों के उपयोग पर भी संकाय/प्रशिक्षक (Faculty/Coach) के रूप में विचार किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता का दावा करने वाले अधिकारी, जहां भी उपलब्ध हो, इसके प्रमाण के रूप में संबंधित प्रमाण पत्र, प्रवीणता प्रमाण पत्र, योग्यता, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, उपलब्धि/प्रतिनिधित्व प्रमाण पत्र या अन्य सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करेंगे। अधिकारी की उपयुक्तता का आकलन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत योग्यताओं, अनुभव, दक्षता और सहायक दस्तावेजों के आधार पर किया

जा सकता है।

In addition, officers possessing specialized knowledge or proficiency in sports and extracurricular activities, such as cricket coaching, swimming, basketball, other sports and fitness activities, yoga, music, singing, instrumental music, cultural activities and any other relevant field, may also be considered for utilization as Faculty/Coach. Officers claiming expertise in such areas shall, wherever available, furnish relevant certificates, proficiency certificates, qualifications, training certificates, achievement/representation certificates or other supporting documents in proof thereof. The suitability of the officer may be assessed on the basis of the qualifications, experience, proficiency and supporting documents furnished by the officer.

6. संकाय के रूप में कार्य करने के इच्छुक अधिकारी अनुबंध-I के रूप में संलग्न निर्धारित प्रारूप में अपनी सहमति-सह-संकाय प्रोफ़ाइल (Willingness-cum-Faculty Profile) प्रस्तुत करेंगे। प्रोफ़ाइल में विशेषज्ञता के क्षेत्र, लिए जाने हेतु प्रस्तावित विषय/मुद्दे, प्रासंगिक व्यावहारिक/व्यावसायिक अनुभव और जहां भी लागू हो, प्रासंगिक योग्यताओं, प्रमाणपत्रों या अन्य सहायक दस्तावेजों का विवरण स्पष्ट रूप से इंगित होना चाहिए।

Officers willing to work as Faculty shall furnish their willingness-cum-Faculty Profile in the prescribed format enclosed as Annexure-I. The Profile should clearly indicate the areas of expertise, subjects/topics proposed to be taken up, relevant practical/professional experience and, wherever applicable, details of relevant qualifications, certificates or other supporting documents.

7. अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत जानकारी का उपयोग नासिन, पालसमुद्रम के केंद्रीकृत संकाय संसाधन समूह को तैयार/अद्यतन करने तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझे जाने के अनुसार प्रशिक्षण सत्रों, कार्यक्रमों, कोचिंग या अन्य प्रासंगिक गतिविधियों के लिए अधिकारियों की तैनाती/उपयोग हेतु किया जाएगा। संकाय का आवंटन संबंधित कार्यक्रम/गतिविधि की आवश्यकताओं, अधिकारी की योग्यता, अनुभव, विशेषज्ञता/दक्षता के क्षेत्र और प्रशासनिक अनिवार्यताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

The information furnished by the officers will be utilized for preparation/updation of the centralized Faculty Resource Pool of NACIN, Palasamudram and for deployment/utilization of officers for training sessions, programmes, coaching or other relevant activities, as considered appropriate by the Competent Authority. Faculty assignments shall be made keeping in view the requirements of the respective programme/activity, the officer's qualifications, experience, area of expertise/proficiency and administrative exigencies.

8. सहमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
The willingness shall be subject to the following conditions:

(i) केवल सहमति प्रस्तुत करने से अधिकारी को किसी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, विषय, कक्षा, कोचिंग गतिविधि या अन्य संकाय उत्तरदायित्व के आवंटन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

Mere submission of willingness shall not confer any right upon the officer for assignment of any particular training programme, subject, class, coaching activity or other Faculty responsibility.

(ii) संकाय संसाधन समूह में शामिल अधिकारियों को कक्षाएं/प्रशिक्षण सत्र लेने, प्रशिक्षण सामग्री/प्रस्तुतीकरण तैयार करने, मूल्यांकन/आकलन करने, कोचिंग/प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य शैक्षणिक या प्रशिक्षण संबंधी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की आवश्यकता हो सकती है।

Officers included in the Faculty Resource Pool may be required to take

classes/training sessions, prepare training material/presentations, undertake evaluation/assessment, participate in coaching/training activities and perform such other academic or training-related responsibilities as may be assigned by the Competent Authority.

(iii) प्रशिक्षण भत्ते (Training Allowance) की स्वीकृति डीओपीटी/सीबीआईसी (DoPT/CBIC) के लागू नियमों/निर्देशों/आदेशों द्वारा शासित होगी और यह निर्धारित पात्रता शर्तों तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन होगी।

The grant of Training Allowance shall be governed by the applicable rules/instructions/orders of DoPT/CBIC and shall be subject to fulfilment of the prescribed eligibility conditions and other requirements.

9. जो अधिकारी इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से 07 (सात) दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में अपनी सहमति प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनके नाम पर वर्तमान प्रक्रिया के तहत संकाय संसाधन समूह में शामिल किए जाने हेतु विचार नहीं किया जाएगा और फलस्वरूप, वर्तमान प्रक्रिया के तहत संकाय कर्तव्यों के आधार पर प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करने हेतु भी विचार नहीं किया जाएगा।

Officers who do not furnish their willingness in the prescribed format within 07 (seven) days from the date of issue of this Circular shall not be considered for inclusion in the Faculty Resource Pool under the present exercise and, consequently, shall not be considered for grant of Training Allowance on the basis of Faculty duties under the present exercise.

10. अतः, नासिन, पालसमुद्रम में तैनात सभी इच्छुक अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से 07 (सात) दिनों के भीतर विधिवत भरा हुआ अनुबंध-I सीआरयू के माध्यम से अथवा ईमेल (estt-nacinpsm@gov.in) द्वारा स्थापना अनुभाग को प्रस्तुत करें।

All interested officers posted at NACIN, Palasamudram are requested to submit the duly filled-in Annexure-I to the Establishment Section through CRU/email (estt-nacinpsm@gov.in) within 07 (seven) days from the date of issue of this Circular.

11. निर्धारित अवधि समाप्त होने के उपरांत सामान्यतः कोई पृथक अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, तथा उसके बाद प्राप्त सहमति पर वर्तमान कवायद हेतु विचार नहीं किया जा सकता है। सभी विंग/अनुभागों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में तैनात सभी अधिकारियों के संज्ञान में लाएं।

No separate opportunity shall ordinarily be provided after expiry of the stipulated period, and willingness received thereafter may not be considered for the present exercise. All Wings/Sections are requested to bring the contents of this Circular to the notice of all officers posted under their respective administrative control.

12. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Competent Authority.

संलग्नक:/Encl.: अनुबंध-I/Annexure-I

Digitally signed by
Rupanagudi Manmohan Reddy
Date: 25-09-2026 12:44:32

(आर. मनमोहन रेड्डी / R. Manmohan Reddy)
सहायक निदेशक (स्थापना) / Assistant Director (Estt.)

प्रतिलिपि सादर / **Copy to:**

1. नासीन पलासमुद्रम में पदस्थापित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी — नोटिस बोर्ड एवं आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचना हेतु।
 All Officers and Staff posted at NACIN, Palasamudram – for information through the Notice Board and official website.

2. महानिदेशक के निजी सचिव / PS to DG.

3. सभी प्रधान अपर महानिदेशक/अपर महानिदेशक/All Pr. ADGs/ADGs

4. सिस्टम मैनेजर – वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु / System Manager – for uploading on the website.

5. सूचना पट्ट/Notice Board